## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

**सा.का.नि. 669(अ).**—केंद्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**3. वेतन और सेवा शर्तें**—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, ऐसे वेतन (सेवा निवृत्त अधिकारी की दशा में पेंशन को घटाकर), महंगाई भत्ते, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है और ऐसी छुट्टी का हकदार होगा, जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुज्ञेय है।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया गया है, ऐसे वेतन (सेवा निवृत्त अधिकारी की दशा में पेंशन को घटाकर), महंगाई भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो मंत्रिमंडल सचिव को अनुज्ञेय है।"।

[फा. सं. 44-23/2014-एन.डी.एम.-II]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 27 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 544(अ), तारीख 30 जुलाई, 2014 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

**G.S.R. 669(E).**—In exercise of the powers, conferred by the sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), hereinafter referred as Act, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. **Pay and service conditions.**—(1) A person nominated as a member of the National Authority shall be entitled the pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to a Secretary to the Government of India and leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(2) A member of the National Authority who is designated as the Vice-Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of Section 3 of the Act, shall be entitled to pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to the Cabinet Secretary."

[F.No. 44-23/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 598(E), dated the 27th September, 2006 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 544(E), dated the 30th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.